वर्तमान परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

डॉ0 शुभ्रा श्रीवास्तव*

शिक्षा किसी भी व्यक्ति में ज्ञान संचार का सशक्त अस्त्र है। इसके द्वारा ही ज्ञानवान व्यक्ति समाज में परिवर्तन की दशा, दिशा तय करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास सूचकांक को निर्धारित करने हेतु उद्योग, खाद्यान्न उपलब्धता, व्यापार, शिक्षा इत्यादि के स्तर के साथ–2 उस देश की महिला स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। महिला की सुदृढ़, सम्मानजनक स्थिति, उन्नत समृद्ध, मजबूत समाज का द्योतक है।

स्वतंत्रता पश्चात संविधान में नारी समर्थन वाले अनेक कानूनों एवं विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों के कारण आज भारतीय महिलाओं की परिस्थितियों में पहले से गुणात्मक सुधार हुआ जिसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहा गया है, ''यदि एक पुरूष को शिक्षित किया जाये तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है किन्तु अगर एक महिला को शिक्षित किया जाये तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है।'' अभिप्राय यह है कि एक महिला के शिक्षित होने से पूरे परिवार का कल्याण जुड़ा होता है क्योंकि इससे पुरूष तो प्रभावित होता ही है और स्वाभाविक है कि बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते है। बच्चे किसी भी राष्ट्र के भावी जीवन की आधार शिला होते है। अतः यदि कोई राष्ट्र महिला शिक्षा को तव्वजो देता है तो वह अपने राष्ट्र के भावी जीवन को सुधार रहा होता है। इस प्रकार महिलाओं को शिक्षित करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे निरन्तर प्राथमिकता मिलनी ही चाहिये।

प्रश्न उठता है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है ? क्या महिला का सबल होना ही सब कुछ है? इस बात की परख इस बात से की जानी चाहिये कि क्या नारी भय मुक्त होकर सम्मान के साथ, जिस लक्ष्य को पाना चाहती है, उसका प्रयास कर सकती है और अपने गन्तव्य तक पहुॅच सकती है। उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आत्मनिर्भर हो, उसकी इच्छा अनिच्छा, सुझावों की प्रत्येक स्तर पर कद्र हो, उसे अपनी योग्यता प्रदर्शन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो, धन संपत्ति में बराबर का हक मिले, रोजमर्रा के कार्यो से कभी–2 राहत मिले, देश की प्रगति व समृद्धि में उसे उसके सहयोग का पूर्ण अवसर मिले। अर्थात समाज रूपी रथ के दो पहियों में एक पहिया यदि स्त्री है तो उसका भी उतना ही सबल और सुयोग्य होना

* वरिष्ठ प्रवक्ता, बी0एड0, दिग्विजयनाथ पी0जी0 कालेज, गोरखपुर

नितान्त आवश्यक है जितना पुरूष का ''यही सबलता, सुयोग्यता उसके सशक्तिकरण की असली पहचान है।'' नोबेल पुरस्कार विजेता अर्मत्य सेन ने भी अपनी पुस्तक ''इंडिया. इकोनोमीक डेवेलेपमेंट'' में महिला सशक्तिकरण का समर्थन करते हुए लिखा है कि, ''महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा वरन पुरूषों एवं बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा।''

इस प्रकार कहा जा सकता, ''सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलता और सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर है।''यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी महिला या समूह को इस लायक बनाया जा सकता है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पूर्ण पहचान और शक्ति को महसूस कर सके।

विभिन्न राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति का आकलन उनके कार्यात्मक सहभागिता, स्वास्थ्य, जीवन अवधि, सुरक्षा, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता एवं शिक्षा द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख मानक है–

1. निर्भयता (जिसके लिये समाज में कानून व सुरक्षा का होना आवश्यक है)
2. आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन क्षमता।
3. निर्णय लेने का अधिकार।
4. सत्ता एवं सम्पत्ति में बराबरी का हक।
5. सकारात्मक छवि का निर्माण (सामाजिक, आर्थिक जीवन में उसके योगदान को मान्यता देकर)
6. आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास।
7. आलोचनात्मक चिन्तन क्षमता का विकास।
8. सामूहिक एकता का निर्माण एवं विकास प्रक्रिया में भागीदारी।
9. कानूनी ज्ञान का विकास एवं स्वयं के अधिकारों सम्बन्धी सूचना एवं पहुॅच को सुनिश्चित करना।
10. समाज में परिवर्तन लाने हेतु सामूहिक कदम उठाने हेतु प्रोत्साहन।
11. सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी एवं सहभागिता।

आज जब महिला शिक्षा की चर्चा की जाती है तो स्पष्टतः देखा जा सकता है कि इस संदर्भ में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना शेष है, किन्तु यह भी सत्य है कि मानव समाज में महिला शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता के प्रति समझ बढ़ी है। उनकी स्थिति को सुधारने में किये गये

आन्दोलनों में उनकी निम्न स्थिति को बदलने में शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना गया।

प्रारंभिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग महिला को एक पत्नी, माता एवं गृहणी के परम्परागत कर्तव्यों को और अधिक कुशलतापूर्वक निर्वाह करने योग्य बनाना था वहीं स्थिति में परिवर्तन आने के बाद विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात स्त्री शिक्षा के महत्व को उसके विस्तृत व विविध आयामों जैसे पारिवारिक, सामाजिक, राजैनिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण से जोड़ा गया 'शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता एवं सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की संभावना'। अतः स्पष्टतः माना जाने लगा कि शिक्षा ही वह उपकरण है जो सशक्तिकरण के समस्त आयाम का आधार है। जिसके द्वारा महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील, विवेकशील, प्रभावशील तथा सशक्त बनाया जा सकता है।

"Education must be illuminated and reilluminated in the light of the soul. The new Community of girls and women in India must be a community of light. The light knows no distinction of creed or community"

स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए उनके विकास एवं शैक्षिक प्रगति हेतु समय–2 पर विभिन्न आयोगों जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958–1959), राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959–60), भक्तवत्सलम समिति (1963–65) हंसा मेहता समिति (1964–65), कोठारी आयोग (1964–66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम (1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वितीय (1986), जनार्दन रेडी समिति (1992) का गठन किया गया, जिन्होने स्त्री शिक्षा के प्रसार व समस्याओं हेतु सुझाव दिये। महिलाओं हेतु अनेक कार्यक्रम बनाये गये। निर्णय प्रक्रिया में उनका सहयोग होना आवश्यक माना गया। राजनैतिक क्षेत्र मे उनकी सहभागिता पर देशव्यापी निर्णय तब हुआ जब संविधान संशोधन (73वें तथा 74वें) के माध्यम से ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया को पुर्नस्थापित करते हुए उसमे महिलाओं के लिये तैतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।

इस प्रकार हम देखते है कि सरकारी योजनाओं की सोच पहलें 'महिला विकास' फिर 'महिला सहभाग' और फिर 'महिला सशक्तिकरण' तक आ पहुंची। आज महिलाओं के मानवीय अधिकारों तथा समाज राष्ट्र विकास दोनों ही सन्दर्भो में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने

लगा। यही कारण है कि आज लड़कियों एवं महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीति विषयक तत्व बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में, न केवल महिलाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता की चर्चा की गई वरन शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया गया है। लैंगिक विषमताओं की समाप्ति को भी प्राथमिकता देने की इस नीति में चर्चा है और शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जहॉ लिंगभेद को प्रतिबंधित किया गया वहीं महिला परिस्थिति में सुधार की बात कही गई। इसके साथ ही महिलाओं के अधिकारों एवं रक्षा के लिये विभिन्न प्रकार के कानून और अधिनियम बनाये गये जैसे समान पांरिश्रमिक अधिनियम (1976), प्रसूति सुविधा अधिनियम (1961), बाल विवाह निषेध अधिनियम, (1976), सती प्रथा निषेध अधिनियम (1987), घरेलू हिंसा संरक्षण हेतु अधिनियम (2005) आदि। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन (1992), राष्ट्रीय महिला कोष का गठन (1993) तथा 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति को पारित कर उसे महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में शिक्षा द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई गयी मुहिम को समुचित और सुनियोजित ढंग से प्रतिबद्धता के साथ चलाने की आवश्यकता है। आज हमें शिक्षा के ऐसे स्वरूप की आवश्यकता है जो महिलाओं को उपरोक्त मानको हेतु तैयार करे उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग व चैतन्य करे।

गॉधी जी ने भी स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार और महसूस किया कि स्त्रियों मे अदभुद नैतिक दृढ़ता एवं सहनशीलता है। उनकी यह विशेषता उन्हें पुरूषों से भी उच्च स्थान प्रदान करती है जिसे उन्होनें 'स्त्री शक्ति' कहा।

महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव 'कोफी अन्नान' ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वस्थ शांतिपूर्ण, समता मूलक समाज के विकास के लिये शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नही होता तब तक स्वास्थ्य, सामाजिक एवं विकास सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नही है। बालिका शिक्षा के प्रसार से न केवल आर्थिक उत्पादकता बढ़ाई जा सकती वरन मातृत्व एवं मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकती है।

यद्यपि लैंगिक समानता विकास एवं सशक्तिकरण के सन्दर्भ में शिक्षा की निश्चित तथा महत्वपूर्ण भूमिका है, किन्तु यह भी कहना कठिन है कि केवल शैक्षिक सुधार से ही महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा क्यों कि लैंगिक विषमता तथा पक्षपात की वर्तमान स्थिति मुख्यतः पितृसत्तात्मक

सामाजिक संरचना के परिणाम है। अतः केवल शैक्षिक स्तर में वृद्धि के आधार पर ही इसके समाप्त किये जाने का दावा नही किया जा सकता है। बस्तुतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसका महिला स्थिति एवं सशक्तिकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की संभावना पड़ती है क्योंकि–

"Education is Power engine to enable women participate in developmental programe and be competitive and Productive"

आज सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों में बच्चों के नामांकन, ड्राप आउट के सन्दर्भ में पाई जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिये शासन द्वारा विशेष प्रयास भी किये जा रहे है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न योजनाओं जैसे कस्तूरबा गॉधी योजना (1997), कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देख भाल के लिये हास्टल, रोजगार एवं प्रशिक्षण सहायता देने का कार्यक्रम स्टेप, (1986–87) स्वावलेबन (1982–83) स्वयं सिद्धा (2001) महिला समाख्या योजना (1989) बालिका समृद्धि योजना (1998) महिला उद्यमियों, हेतु ऋण, योजना, जेण्डर बजटिंग (2004–05), तकनीकी शिक्षा हेतु प्रगति छात्रवृत्ति योजना, के क्रियान्वन के साथ ही मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (2003), कन्या विद्याधन योजना (2004), सावित्री बाई फूले योजना 2009, सबला योजना (2011–12), हमारी बेटी उसका कल योजना, पढ़े बेटियॉ बढ़े बेटियां, एवं बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना (22 जनवरी 2015) के द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रसार और उन्नयन के लिये निरन्तर प्रयास जारी है। स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी व अन्य भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है, जिसका लक्ष्य है प्राथमिक स्तर पर शतप्रतिशत नामांकन, शतप्रतिशत बच्चियों को रोके रहना और उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करना। इसके लिये कस्तूरबा गॉधी योजना के चालू रखने के साथ ही माध्यमिक विद्यालय खोलने, छात्रवास निर्माण योजना, अलग से उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय, विश्वविद्यालय व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापना के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण व्यवस्था के साथ स्त्री शिक्षा के विस्तार में तीव्रगति लाने के प्रयास पर जोर दिया गया है। इस प्रकार जहॉ एक ओर हमारे देश में 1947 में लगभग 0.43 करोड बालिकायें शिक्षा प्राप्त कर रही थी वही 1951 इनकी संख्या बढ़ कर 0.6 करोड़, 1961 में 1.4 करोड़, 1981 में 4 करोड़, 1991 में लगभग 6 करोड, 2001 में 8.4 करोड़

तथा 2001 से 2010 के मध्य यह बढ़ कर लगभग 12.35 करोड होकर बढ़ती ही जा रही है। इसी भॉति महिला साक्षरता जहॉ 1947 में केवल 6 प्रतिशत थी वही 2001 में 54.16 प्रतिशत तथा 2011 में यह 65.46 प्रतिशत होकर उत्तरोतर बढ़ती ही जा रही है।सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन से यह बदलाव उत्तरोतर बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं के नामांकन के क्रमिक विकास को निम्न तालिका में देखा जा सकता है–

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों के नामांकन का क्रमिक विकास

वर्ष	प्राथमिक कक्षा	माध्यमिक कक्षा	उच्च स्नातक एवं परास्नातक
2001–01	6,73,00,000	107,00,000	033,78,000
2007–08	905,35,77	1,93,19,218	056,00,000
2009–10	9,24,17,562	2,15,35,250	059,69,850

स्त्रोंत– सेलेक्टिड ऐजूकेशनल स्टेटिक्स, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय 2011

स्पष्ट है विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़ देने के कारण कम संख्या में लड़किया उच्च शिक्षा तक पहुॅच पाती है परन्तु उत्साहजन्य तथ्य यह है कि आज लड़कियॉ उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर अपना नाम रोशन कर रही है। पिछले वर्षो के हाईस्कूल इंटरमीडिएट, स्नातक परीक्षा के रिजल्ट पर यदि हम नजर डाले तो देखेगे कि लड़कियो का दबदबा हर जगह कायम है।

इसी परिप्रेक्ष्य में पचास के दशक में जहॉ 15 प्रतिशत महिलायें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में नौकरियॉ करती थी वही वर्ष 2010 में लगभग 65 प्रतिशत महिलायें भारत के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में नौकरियॉ कर रही जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नौकरीपेशा महिलाओं की स्थिति तालिका से स्पष्ट है:–

नौकरीपेशा महिलाओं की स्थिति:–

वर्ष	1900	1950	2009	2018
संख्या	51 लाख	1.84 करोड़	6.62 करोड़	7.8 करोड़ अनुमानित

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला आवेदको की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उच्च रैंक को भी वे प्राप्त कर रही है जैसा कि सिविल सेवा 2014 के परिणाम से भी स्पष्ट है। आज घर की चाहरदीवारी से बाहर निकल कर पेशेवर क्षेत्र में मुकाम बनाने वाली स्त्रियों

की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है हालांकि कमाई के मामले में वे अब भी पुरूषों से पीछे हैं तथापि इनकी शैक्षिक व व्यवसायिक उपलब्धियों ने महिला वर्ग कों सशक्त किया है।

साक्षरता एवं शिक्षा हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों प्रौढ शिक्षा, महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम (1989 शिक्षा द्वारा महिला समानता) से महिलाओं में जागरूकता, गत्यात्मक प्रेरणा एवं विश्वास का सूत्रपात हुआ जिसके फलस्वरूप महिला कार्यक्रमों का केद्र बिन्दु 'महिला कल्याण से हट कर 'महिला सशक्तिकरण' की ओर हो रहा है। महिलाओं में विशेष प्रकार की योग्यता होती है चाहे परम्परागत शिक्षा हो या उत्पादक शिक्षा। आज स्त्रियों ने किसी भी क्षेत्र को नही छोड़ा है उनकी स्थिति को सृदृढ़ बनाने हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिये महिलाओं के हर वर्ग को ध्यान में रखकर रोजगारपरक शिक्षा को व्यापक रूप से पाठयक्रम में इस प्रकार नियोजित करना होगा कि उनका सर्वांगीण विकास हो सकें। पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला, शोध कार्यो के साथ–2 अध्यापक प्रशिक्षण, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, रंगाई, पेटिंग, स्वास्थ्य प्रसार कार्यक्रम, ब्यूटीशियन, डायटीशन, बागवानी, फलसंरक्षण, बुटीक, स्वास्थ्य एवं प्रसार कार्य, फैशन डिजाइनिंग, वित्तीय मैनेजमेंट, कम्पयूटर शिक्षा, इन्फारमेशन, टेक्नोलोजी, मार्केटिंग प्रशिक्षण, पर्यावरण शिक्षा, टिफिन प्रणाली जैसे कार्यक्रमों को समावेशित कर उनकी रूचि योग्यतानुसार उन्हें आगे बढ़ने का समान रूप सें अवसर देना होगा।

तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी महिला स्थिति में संतोषप्रद सुधार नही है। पिछले पैंसठ वर्षो में जो समस्या तेजी से उभरी है वह है ''औरत के जन्म लेने के अधिकार का हनन'' जिसकी झलक सन 2001 की जनगणना के आंकड़े से स्पष्ट है, जो बताते है कि जहॉ 0–6 आयु वर्ग में प्रति हजार शिशुओं की तुलना में स्त्री शिशु संख्या 927 थी, वह 2011 में 914 आ पहुंची है, आगे क्या होगा यह समझा जा सकता है। भारत में बालिकाओं की स्थिति पर आधारित **सेव द चिल्ड्रेन** की रिपोर्ट **विग्ंस 2014** में कहा गया कि 90 फीसदी देश की लड़कियों पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है लड़को के मुकाबले दोगुनी लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है। ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा एक में दाखिला लेने वाली सौ बालिकाओं में सिर्फ एक ही कक्षा बारह तक पहुंचती है, वही शहरी क्षेत्र में कक्षा एक में दाखिल लेने वाली सौ लड़कियों में से चौदह ही कक्षा बारह तक पहुंचती है। 70'2 फीसदी लड़कियां कक्षा एक से दस के बीच पढ़ाई छोड़ देती हैं।

आज यह बात भी सोचनीय है कि स्कूल स्तर पर कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियों जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत भी ज्यादा रहता है उनकी संख्या उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रबन्धन के क्षेत्र में क्यों कम दिखाई देती है?

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण, सशक्तिकरण की दिशा में किये गये सरकारी, गैर–सरकारी प्रयास के बावजूद, शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसी समस्याओं के अतिरिक्त अनेक सामाजिक समस्यायें बाधक तत्व के रूप में विद्यमान है। उनकी रूचियों, इच्छाओं का, वित्तीय क्रियाकलापों का नियंत्रण पुरूषों के हाथ में होने से उन्हे कैसे सशक्त किया जा सकता है। आज स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार, हिंसा, बढ़ती जा रही है। दहेज उत्पीड़न, निर्धनता, पारिवारिक उपेक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी व भेदभाव पूर्ण सेवा शर्तें, घरेलू दायित्वों का बोझ, बेटी पराया धन जैसी मानसिकता बालिका शिक्षा को फिजूलखर्ची मानना, निर्धनता, अशिक्षा व जागरूकता का अभाव, छोटी–छोटी बालिकाओं का शोषण, बाल विवाह, राजनैतिक क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी की कमी, पर्दाप्रथा, धार्मिक संकीर्णता, सामाजिक असुरक्षा जैसे अनेक कारणों से महिला स्थिति दयनीय तथा सोचनीय है। अभिभावाकों द्वारा बालिकाओं को आज भी स्कूल भेजने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जैसी अनेकों धारणाओं के कारण उन्हें शिक्षित करना एक चुनौती है।

महिला कार्य–सहभागिता के मामले में तो हम ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी पिछड़े हुये है। 'वैश्विक लिंग भेद सूचकांक' 2014 में 142 देशों में भारत का स्थान 114 वीं पायदान पर है, वहीं अन्य विषयों में पिछड़ापन तालिका द्वारा देखा जा सकता हैं–

अन्य विषयों में वैश्विक स्तर पर रैंक, महिला पुरूष अनुपात

विषय	रैंक	महिला पुरूष अनुपात	विषय	रैंक	महिला पुरूष अनुपात
आर्थिक भागीदारी के अवसर	134	0.410	साक्षरतादर	126	0.68
श्रम शक्ति भागीदारी	130	0.36	प्राथमिक शिक्षा में नामांकन	117	0.97
वेतन समानता	109	0.56	माध्यमिक शिक्षा में नामांकन	116	0.79

अनुमानित आय (डालर)	135	0.24	उच्च शिक्षा में नामांकन	111	0.78
शिक्षापाने में	126	0.850	स्वास्थ्य उत्तरजीविता	141	0.937
राजनीतिक सशक्तिकरण	15	0.385	जीवन प्रत्याशा	95	1.04

चूंकि सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है और कहा भी गया है कि 'सा विद्या या विमुक्तये' तो इसी कसौटी पर आज की शिक्षा प्रणाली को पुनर्संयोजित एवं पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। वह शिक्षा ऐसी हो जिसमें चरित्र निर्माण हो जो ईमानदारी, आत्मविश्वास, कार्यकुशलता, श्रम के प्रति श्रद्धाभाव, न्यायपरायणता, मानवीय मूल्य, देश प्रेम, संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा परोपकार जैसे गुणों को समावेशित कर प्रखरता एवं ज्ञान की लालसा को उत्पन्न करे जो उन्हें सहजता से उपलब्ध हो। शिक्षा ऐसी चीज है जो व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के लिये अमूल्य निधि है। इसका संरक्षण एवं वितरण भी इसी रूप में आवश्यक है। शिक्षा उन तमाम मुद्दों पर एक दृष्टिकोण प्रदान करती है जहां एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से नहीं पहुच पाता है। इसके कारण ही नैतिकता, स्थायित्व एवं बंधुत्व की भावना का विकास संभव है।

आज महिला प्रवीणता को विभिन्न सामाजिक स्तरों पर पहचानने की आवश्यकता है क्योंकि ''किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से ही परिलक्षित होती है वे रचनात्मक शक्ति होती है''। अतः आने वाले कल को सुधारने के लिए शिक्षा द्वारा जागरूकता लाकर रूढ़िवादी मान्यताओं, परम्पराओं, महिलाओं के लिए प्रति नकारात्मक सोंच में बदलाव लाना होगा। शिक्षा द्वारा उनमें वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता, अच्छे बुरे की पहचान करने के साथ व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करना होगा जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने, आत्मनिर्भर बनने में कोई कढिनाई नहीं होगी और एक बेहतर मानव संसाधन का निर्माण होगा जो आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण का आधार स्तम्भ है। वे परिवार एवं समाज में समान दर्जा प्राप्त करने में वे सफल होगी तथा समाज एवं देश के विकास में अपना सक्षम योगदान दे सकेगी।

आज वैश्विक स्तर पर महिला अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह सिर्फ योजनाओं के सहारे संभव नहीं है। इसके लिये देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करके

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी। महिला स्थिति में सुधार लाने हेतु, सभी को अपनी–अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए निष्ठापूर्वक कार्यक्रमों को संचालित करने के साथ–साथ समय–समय पर मूल्यांकन करते रहना होगा। महिला अधिकारों के संरक्षण व कानूनों को ईमानदारी से लागू करते हुए घरेलू व सामाजिक स्तर पर सुधार लाने का सतत प्रयत्न करना ही होगा। शिक्षा ही वह अमूल्य निधि है जो संपूर्ण सामाजिक ढाचों को बदल सकती है, महिला की अपार क्षमता को सबल व सशक्त बना सकती है क्योंकि वृहत्तर राष्ट्रीय आयामों के मद्देनजर स्त्री शिक्षा एवं सशक्तिकरण वक्त की जरूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- प्रो0 मदन मोहन, डॉ0 नीता सिन्हा, भारतीय शिक्षा की उदीयभान समस्याएँ, कैलाश प्रकाशन इलाहाबाद, 2005–2006.
- रमन बिहारी लाल, कृष्ण कान्त शर्मा, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, प्रकाशक विनय रखेजा, मेरठ, 2012.
- प्रो0एस0पी0 रूहेला, विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2007–2008.
- डॉ. एस0पी0 गुप्ता डॉ. अलका गुप्ता, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, प्रकाशक शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2009.
- प्रो0 उमा टण्डन, डॉ. अरूणा गुप्ता, उदीयभान भारतीय समाज में शिक्षक, आलोक प्रकाशन, लखनऊ, 2008.
- योजना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 2001, दिसम्बर, 2012.
- हिन्दुस्तान, 26 जनवरी, 2013.
- जनगणना रिर्पोट, 2011, भारत सरकार.
- कुरूक्षेत्र 2015, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
